राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1399/2023

डॉ. हेमलता वर्मा (कर्मचारी आई.डी.– आरजेयूडी201237022831)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.05.2023
आदेश की दिनांक : 09.05.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को पूर्व में विभागीय पदोन्नति कमेटी की वर्ष 2019–20 की डीपीसी की अनुशंषा पर पदोन्नति प्रदान की गई थी। बाद में आलोच्य आदेश दिनांक 04.04.2023 के द्वारा उनका वर्ष 2019–20 की डीपीसी से नाम विलोपित करते हुए वर्ष 2020–2021 के लिए पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थीया वर्ष 2015 से 2017 तक पारिवारिक कारणों से कुछ समय के लिए अवकाश पर रही थी। जिसका लगभग 235 दिन का असाधारण अवकाश दिनांक 16.03.2018 के द्वारा स्वीकृत किया गया था। उक्त अवधि के सेवाकाल/अनुभव की गणना नहीं की गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्थान सेवा नियम के आधार पर अपीलार्थी एक वर्ष की निरंतर सेवा में माना जा सकता है, क्योंकि सेवा पर दिये गए समय व असाधारण समय का अवकाश भी सम्मिलित किये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में आगामी पदोन्नति की कार्यवाही चल रही है। ऐसे में यदि आलौच्य आदेश को स्थगित नहीं किया गया तो आगामी पदोन्नति से अपीलार्थी वंचित रह जायेगा।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीया का 235 दिन का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा चुका है। ऐसी स्थिति को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 3 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण ने किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 04.04.2023 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक के लिए स्थगित रहेगा।
4. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)